भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 974
13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम

974. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्रीमती पूनम महाजन:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एक नई कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना कितनी लाभकारी होगी;

(ग) क्या यह एक 'बिक्री मूल्य से जुडी' योजना है, जो सभी वाहनों के पूर्व-अनुमोदित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों पर लागू होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल घटक को कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): जी हाँ, सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों (एएटी) के लिए भारत की विनिर्माणकारी क्षमताओं के संवर्धन के लिए भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग हेतु पाँच वर्षों के लिए ₹25,938 करोड़ के बजटीय परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम अनुमोदित की है। इस स्कीम के दो घटक हैं:

i. चैम्पियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम

ii. घटक चैम्पियन प्रोत्साहन स्कीम

(ख): ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग संबंधी पीएलआई स्कीम में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने का प्रावधान है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत को

नियंत्रित करना, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और एएटी उत्पादों के क्षेत्रों में एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल हैं। इससे रोजगार का सृजन भी होगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने एएटी उत्पादों की सूची दिनांक 9 नवंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन 4632(अ) के माध्यम से अधिसूचित की है। एएटी उत्पादों की सूची भारी उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) और **(घ)**: घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम 'बिक्री मूल्य-संबद्ध' स्कीम है, जो वाहनों के उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों, पूरी तरह से नॉक्ड डाउन (सीकेडी)/सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) किट, दुपहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों आदि के वाहन समुच्चयों पर लागू होती है। इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन की पात्रता के लिए न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ङ): बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल-चालित वाहनों और उनके एएटी घटकों पर 13% से 18% तक का आर्थिक प्रोत्साहन लागू है।

******